

160/2013



विक्रय पत्र

विक्रय मूल्य	रु. 1,60,000 /-
बाजारी मूल्य	रु. 1,43,000 /-
स्टाम्प शुल्क	रु. 8000 /-
आवास विकास शुल्क	सम्मिलित
स्टाम्प सीट की सं.	4
सर्किल रेट व कम रा.	सर्किल रेट रु. 1700 /- प्रति वर्गमीटर सर्किल रेट लिस्ट में विक्रित सम्पत्ति के सं. 9 कालम 3 पर दर्ज है।
मुख्य स्थिति	यह कि विक्रित सम्पत्ति श्रीनगर इस्टेट, केम्पटी रोड पर मसूरी इण्डियन नेशनल स्कूल से आगे नगर पालिका सीमा के अन्दर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल भूमि 900 वर्गफिट अर्थात् 83.3 वर्गमीटर है।
विक्रेता का नाम व पता	श्री रवीन्द्र लाल पुत्र लॉ० राम बिहारी लाल, निवासी- 12 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून, हाल निवासी- श्रीनगर इस्टेट, मसूरी, जिला देहरादून Id./PAN No. AADPL8843P
क्रेता का नाम व पता	श्री खेम सिंह रावत पुत्र श्री गोपाल सिंह रावत, निवासी- गंगे पम्प हाउस, चार्लिविली, मसूरी, जिला देहरादून। Id/PAN BADPS9046N
रचियता	श्री महादेव लेखकार, एडवोकेट

रवीन्द्र लाल

Ravindra Lal

Certified True Copy of the Original

Dhanendra Singh Pundeer
Advocate & Notary Public
Regn.No.19796/2020
Mussoorie
Distt. Dehradun (Uttarakhand)
Govt. of India


160/2013

भारतीय नै न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES



B 384385

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

जैसा कि मेजर जनरल किस्टोफर डिक्सोन विलकिन्सन ने मसूरी की स्थानीय कमेटी से एक पट्टेनामे के जरिये भूमि का अधिग्रहण दिनांक 11 जनवरी 1845 को किया।

जैसा कि मेजर जनरल किस्टोफर डिक्सोन विलकिन्सन भारत छोड़ कर चले गये थे एवं उन्होंने अपने स्थान पर श्री जॉन मैकिन्नॉन को अपनी इस्टेट के लिये अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। श्री जॉन मैकिन्नॉन ने उक्त इस्टेट को श्री विलियम माइकल नेविल हॉबसन को दिनांक 1 जून 1861 को विक्रय किया जिसका पंजीकरण मसूरी की स्थानीय कमेटी में दर्ज हुआ।

जैसा कि श्री जॉन मैकिन्नॉन ने उक्त इस्टेट को मसूरी बैंक लि० में उक्त इस्टेट को बन्धक रखा एवं समय-समय पर पैसा ऋण के रूप में लेते रहे एवं लिये गये ऋण को वापस ना करने पर उक्त इस्टेट को मसूरी बैंक लि० को विक्रय कर दी जा कि म्यूनिसिपल बोर्ड मसूरी में 13 अक्टूबर 1881 को विधिवत पंजीकृत हुआ।

जैसा कि मसूरी बैंक लि० ने उक्त इस्टेट को श्री रघुनाथ भट्टाचार्य को दिनांक 31 मार्च 1896 को विक्रय किया जिसका विक्रय-पत्र म्यूनिसिपल रजिस्टर नं० 108 जिल्द III पृष्ठ 464 से 471 पर दिनांक 12 अक्टूबर 1897 को विधिवत पंजीकृत हुआ।

29/11/1911

Ravindra Lal

193
1/9/13

1000
1931
श्री. नं.
अनिल कुमार मिश्र
अध्यक्ष विभाग, ...

₹ 1,60,000/-

विक्रयपत्र ₹ 1,60,000/- = रजिस्ट्रेशन शुल्क 3200.200
मिलान 10'200 योग 3210.200 शब्द लगभग 1000-

सब रजिस्ट्रार मसूरी (देहरादून)

श्री/ श्रीमती/ कुं गडादेव

जेल्का 1558 के प्राथम पत्र

बाबत कमीशन दि० 3-8-2013

के अनुसार आज दि० 14-9-2013

उनके द्वारा निर्धारित स्थान

श्रीनगर स्टेटे कम्यूटी के मसूरे

पर अक्षय मठव 9 से 3 बजे

पहुंचा जहां का श्री कुंसी/

पत्तन में बैठकर / लेकर श्री/

श्रीमती/ कुं खेमसिंह रावत पूर्व श्री गोपाल सिंह रावत पि०

भरे पत्र पर हस्ताक्षर चालाविल मसूरे

जो यह विलेख निबन्धन हेतु मेरे

हस्ताक्षर प्रस्तुत किया।



19/9/2013

उप निबन्धक
मसूरी।



इस लेख पत्र का निष्पादन ₹
विक्रय धन ₹ 1,60,000/-

में ले रहे हैं।
प्रप्त करके श्री रवीन्द्र लाल पुत्र श्री रामविहारी लाल पि०
19-लक्ष्मीयुड डालवाला देहली हाल श्री श्रीनगर स्टेटे
मसूरे में स्वीकार किया तथा निष्पादन उक्त श्री खेमसिंह
रावत ने भी स्वीकार किया।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA



062884

उत्तरांचल UTTARANCHAL

विक्रय-पत्र

यह विक्रय पत्र आज दिनांक 14-09-2013 को स्थान मसूरी में श्री रवीन्द्र लाल पुत्र डॉ० राम बिहारी लाल, निवासी-12 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून हाल निवासी-श्रीनगर इस्टेट, मसूरी, जिला देहरादून, उत्तराखण्ड, जिन्हें इस विलेख में विक्रेता/प्रथम पक्ष कहा गया है

एवम

श्री खेम सिंह रावत पुत्र श्री भोपाल सिंह रावत, निवासी- मरे पम्प हाउस, (मोतीवाला) चार्लिविली, मसूरी, जिला देहरादून, जिन्हें इस विलेख में क्रेता/द्वितीय पक्ष कहा गया है, के मध्य अंकित, हस्ताक्षरित एवं निष्पादित हुआ है जिसमें दोनों पक्षों के वारीसान उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि, स्थानापन्न आदि-आदि सम्मिलित माने जायेंगे ।

जैसा कि महन्त स्वरूप दास ऑफ गुरुद्वारा राम राय भिलाड़ू गांव का मौफी होल्डर थे ।

Ravindra Lal

24/11/13

11/13 5000

Chhem Singh Ramet Co B. S. Ramet


श्री. नं.
अमित कुमार मिश्रा
स्टाम्प डिप्टी, फयहरी
देहरादून

पहचान श्री जोगेश्वर लुगान
पुत्र श्री स्व० राम मणि
निवासी गिलाड मधुते
ए श्री विष्णुसिंह
पुत्र श्री विश्व सिंह
निवासी बेकनन पम्प जामुनेरी मधुते
वे की ।



एव निवन्धक
मसुरी क्षेत्र

21/11/1999



Jageshwar

विष्णुसिंह

निष्पादनकर्ताओं का निष्पक्ष लिखा गया
साक्षी पंक्ति है निष्पक्ष से मुक्त किया

एव निवन्धक
मसुरी क्षेत्र

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

B 384392

3
5 SEP 2019
जैसा कि श्री रघुनाथ भट्टाचार्य ने अपनी उपरोक्त सम्पत्ति के लिये अपना मुख्तार आम श्री ज्योति स्वरूप को नियुक्त किया जिसका मुख्तारनामा आम दिनांक 17 फरवरी 1896 को पंजीकृत हुआ एवं श्री ज्योति स्वरूप ने श्री विन्सेन्ट आर्थर मैकिन्नॉन एवं फिलिप वाल्टर मैकिन्नॉन को उक्त इस्टेट को दिनांक 23 जुलाई 1896 को विक्रय किया जिसका विक्रय-पत्र नं० 204 पृष्ठ 214 से 221 जिल्द III रजिस्टर बुक नं०1 दिनांक 13 अगस्त 1896 को सब-रजिस्ट्रार, मसूरी के कार्यालय में पंजीकृत हुआ ।

जैसा कि श्री आर्थर एडवर्ड स्टोन ने सम्पत्ति इस्टेट जिसका कुल क्षेत्रफल 191 जिसका आच्छादित क्षेत्रफल 183.30 है को श्री विन्सेन्ट आर्थर मैकिन्नॉन एवं फिलिप वाल्टर मैकिन्नॉन को दिनांक 7 जनवरी 1902 को विक्रय किया जिसका विक्रय-पत्र सब-रजिस्ट्रार, मसूरी के कार्यालय में बही सं० 1 जिल्द 1 पृष्ठ 33 से 34 पर नं० 3 वर्ष 1902 को पंजीकृत हुआ

जैसा कि श्री विन्सेन्ट आर्थर मैकिन्नॉन व फिलिप वाल्टर मैकिन्नॉन की मृत्यु के पश्चात् उक्त सम्पत्ति बन्धक होने के कारण इस्टेट को बैंक ऑफ अपर इन्डिया लि० ने अधिग्रहीत किया ।

जैसा कि बैंक ऑफ अपर इन्डिया लि० ने उक्त इस्टेट को मसूरी डवलपमेन्ट कम्पनी को नीलाम किया एवं कम्पनी ने दिनांक 25 अप्रैल

Ravindra Lal

29/11/21/20

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

B 384393

5 SEP 2013 1935 को कब्जा लिया एवं भूमि का एक टुकड़ा जिसका नाम पोलो ग्राउन्ड था नीलामी के द्वारा पं० श्याम लाल को नीलाम किया गया ।

जैसा कि मसूरी डबलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड जो कि एक रजिस्टर्ड कम्पनी थी एवं कम्पनी अधिनियम 1913 के तहत पंजीकृत थी जिसका कार्यालय नं० 4, लायन्स रन्ज, कलकत्ता में था ने सम्पत्ति श्रीनगर इस्टेट चकराता रोड, मसूरी को डॉ० राम बिहारी लाल पुत्र स्व० लाला श्री राम, निवासी- 51, सैयद अमीर अली एवेन्यू, कलकत्ता को एक पंजीकृत विक्रय-पत्र के द्वारा विक्रय किया जिसका विक्रय-पत्र बही सं० 1 जिल्द 66 के पृष्ठ 67-80 पर सीरियल नं० 1702 वर्ष 1942 को विक्रय किया ।

जैसा कि श्री डॉ० राम बिहारी लाल उक्त सम्पत्ति 191 एवं इस्टेट 197 जो कि वर्तमान में श्रीनगर इस्टेट मसूरी के नाम से जानी जाती है के एकमात्र मालिक काबिज एवं आबाद हुए ।

जैसा कि डॉ० राम बिहारी लाल की मृत्यु वर्ष 1954 में हो गई थी उनके मरणोपरान्त उनके उनके वैधानिक कानूनी प्रतिनिधि उनकी पत्नी श्रीमती प्रकाश देवी एवं पुत्र श्री रवीन्द्र लाल उक्त इस्टेट के मालिक काबिज एवं आबाद हुए ।

Ram Lal

29/11/2013



जैसा कि श्रीमती प्रकाश देवी के मरणोपरान्त उनका पुत्र श्री रवीन्द्र लाल (विकेता) उक्त सम्पत्ति का एकमात्र मालिक काबिज एवं आबाद हुआ । विकेता को उक्त सम्पत्ति अथवा उसके किसी भी भूभाग को विक्रय करने का पूर्ण वैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ ।

जैसा कि केता/ द्वितीय पक्ष ने विकेता/ प्रथम पक्ष से उसकी उपरोक्त सम्पत्ति में से एक भूखण्ड जिसका कुल क्षेत्रफल 900 वर्ग फुट अथवा 83.6 वर्ग मीटर है जिसे इस विक्रय-पत्र के साथ संलग्न मानचित्र में लाल स्थाही से रेखांकित कर दर्शाया गया है जो कि श्रीनगर इस्टेट, मसूरी-कैम्पटी रोड पर स्थित है को रू0 1,60,000/- (रुपये एक लाख साठ हजार मात्र) में कय करने का आग्रह किया है तथा विकेता/ प्रथम पक्ष भी उक्त विक्रय मूल्य रू0 1,60,000/- (रुपये एक लाख साठ हजार मात्र)में अपनी उक्त सम्पत्ति/भूमि को विक्रय करने को सहमत हुआ है सम्पत्ति हर प्रकार के भार, बन्धन, कुर्की, रहन, बिकी, दान आदि से मुक्त है विक्रीत सम्पत्ति विकेता के अधिकार व स्वामित्व में है अतः यह विक्रय-पत्र निम्नलिखित का साक्षी है:-

1-यह कि उक्त विक्रय अनुबन्ध के अनुपालन में केता/ द्वितीय पक्ष ने समस्त विक्रय मूल्य रू0 1,60,000/- (रुपये एक लाख साठ हजार) विकेता /प्रथम पक्ष को निम्न प्रकार से अदा किये गये है :-

Ravindra Lal

21/11/20



रु. 80,000/- (अस्सी हजार रु.) डि.डा. नं. 431466 एस.वी.आई.दिनांक 13-09-2013

रु. 80,000/- (अस्सी हजार रु.) डि.डा. नं. 391935 यू.वी.आई.दिनांक 13-09-2013

द्वारा अदा कर दिये हैं कोई लेन-देन शेष नहीं रह गया है, विक्रेता ने अपना कब्जा व दखल वाकयी मालिकाना हक इस विक्रीत सम्पत्ति से उठाकर क्रेता को इस विक्रय-पत्र के निष्पादन के समय वास्तविक रूप से स्थल पर कब्जा समर्पित कर काबिज एवं आबाद करा दिया है जिसके फलस्वरूप क्रेता सम्पत्ति पर बतौर स्वामी काबिज एवं आबाद हो गया है क्रेता को पूर्ण अधिकार है कि वह जिस प्रकार चाहे सम्पत्ति से लाभ उठाये, अपने उपयोग में लाये, चाहे हस्तांतरण करे, दान करे, सम्पत्ति को विक्रय करे, बन्धक रखे, सम्पत्ति को विकसित करे, निर्मित सम्पत्ति में परिवर्तन-परिवर्धन करे, मानचित्र स्वीकृत कराके नव निर्माण आदि करे। विक्रेता या उसके वारीसान उत्तराधिकारियों को कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं है विक्रेता का अब कोई सम्बन्ध या सरोकार विक्रीत सम्पत्ति से नहीं रह गया है ना ही उसके वारीसान, उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि, परिवार के किसी भी सदस्य को उक्त विक्रीत सम्पत्ति पर उजर-दखल आपत्ति करने का कोई अधिकार है आज से क्रेता को विक्रेता की तरह वह समस्त हवा,पानी,रोशनी,संयुक्त मार्ग के सुखाधिकार प्राप्त हो गये हैं सम्पत्ति हर प्रकार के भार-बन्धन से मुक्त पाक-साफ है, ना ही

Raminder Lal

29/09/13 21/9/13



गिरवी रखी गई है, ना ही किसी अन्य को बेची गई है एवं विक्रेता के स्वामित्व अध्यासन में है।

2- यह कि सम्पत्ति पर कोई किसी प्रकार का कर देय अवशेष नहीं है आज तक के समस्त प्रकार के करों का भुगतान विक्रेता करेगा तथा आज के बाद क्रेता बतौर स्वामी स्वयम् भविष्य में करता रहेगा।

3- यह कि विक्रेता विक्रीत सम्पत्ति को नगर पालिका परिषद, मसूरी में क्रेता द्वितीय पक्ष के नाम नामांतरण हेतु अनापत्ति पत्र देकर पूर्ण सहयोग करेगा।

4- यह कि यदि भविष्य में क्रेता के स्वामित्व को पूर्ण करने हेतु किसी और दस्तावेज को निष्पादित करना पड़ता है तो विक्रेता, क्रेता के खर्चे पर दस्तावेज निष्पादित करेगा।

5- यह कि सम्पत्ति /भूमि मसूरी-कैम्पटी रोड पर मसूरी इण्टरनेशनल स्कूल से आगे नगर पालिका मसूरी की सीमा में स्थित है तथा सर्किल रेट लिस्ट में विक्रीत सम्पत्ति पृष्ठ सं0 2 पर क्रमांक सं0 9 कालम सं0 3 में दर्ज है।

Raminder Lal

24 मई 2017



6- यह कि विकीत सम्पत्ति मुख्य केम्पटी रोड पर स्थित है, सम्पत्ति/भूमि में कोई प्राइवेट निजी वन क्षेत्र एवं वृक्ष नहीं हैं एवं आज विक्रय की जा रही सम्पत्ति का कोई भूभाग पूर्व में विक्रय नहीं किया गया है। विक्रित सम्पत्ति मुख्य रोड के 50 मी० के अन्दर स्थित है। राष्‍ट्रिय प्रेकोड लागू नहीं है।

7- यह कि सम्पत्ति नगर पालिका परिषद, मसूरी की सीमा के अन्तर्गत स्थित है तथा उक्त सम्पत्ति पर उत्तरांचल अधिनियम संख्या 29 वर्ष 2003 लागू नहीं है।

8- यह कि विकीत सम्पत्ति खुला भूखण्ड है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई निर्माण नहीं है तथा भूखण्ड आवासीय प्रयोजन हेतु विक्रित किया जा रहा है।

यह कि विकीत सम्पत्ति भूखण्ड जिसका कुल क्षेत्रफल 900 वर्गफुट अथवा 83.6 वर्ग मीटर है जो कि मसूरी-केम्पटी रोड पर मसूरी इण्टरनेशनल स्कूल से आगे मसूरी नगर पालिका सीमा के अन्दर, स्थित है। विक्रित सम्पत्ति/भूमि का मूल्यांकन एवं गणना निम्न प्रकार से की गयी है :-

भूमि 83.6X1700 = 1,42,120/- Rounded 1,43,000
स्टाम्प शुल्क विक्रय मूल्य 1,60,000X5%= 8000/-रु. के स्टाम्प अदा किये गये हैं।

Ravindra Lal

29/03/2025



विवरण सम्पत्ति

वह समस्त सम्पत्ति भूखण्ड जिसका कुल क्षेत्रफल 900 वर्गफुट अथवा 83.6 वर्ग मीटर है जो कि मसूरी-कैम्पटी रोड, पर मसूरी इण्टरनेशनल स्कूल से आगे नगर पालिका सीमा के अन्दर, मसूरी, जिला देहरादून उत्तराखण्ड में स्थित है। एवं जिसे इस विक्रय-पत्र के साथ संलग्न मानचित्र में लाल स्याही से रेखांकित कर दर्शाया गया है तथा जिसकी सीमायें निम्नवत् हैं

:-

पूरब	:	भूमि श्री राज चोपड़ा
पश्चिम में	:	भूमि विक्रेता
उत्तर में	:	भूमि विक्रेता
दक्षिण में	:	रोड वाईडिंग एवं उसके पश्चात कैम्पटी रोड

अतः यह विक्रय-पत्र दोनों पक्षों ने स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के, स्वरथ मन एवं बुद्धि से उपरोक्त वर्णित तिथि, माह एवं वर्ष को अपने हस्ताक्षर कर निम्नलिखित गवाहानों के समक्ष अंकित, हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया है।

Raminder Lal

विक्रेता

क्रेता
29/01/2021



रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32-ए के अनुपालन हेतु फिंगर प्रिंटस
 विकेंता का नाम एवं पता :- श्री रवीन्द्र लाल पुत्र डॉ० राम बिहारी लाल,
 निवासी-12 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून हाल निवासी-श्रीनगर इस्टेट,
 मसूरी, जिला देहरादून, उत्तराखण्ड | PAN No.: AADPL8843P
 बायें हाथ (Left Hand) की अंगुलियों के चिन्ह:-

कनिष्ठिका	अनामिका	मध्यमा	तर्जनी	अंगुष्ठ

दायें हाथ (Right Hand) की अंगुलियों के चिन्ह:-

अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठिका

Ramendra Lal

विकेंता / रविन्द्र लाल

24/03/2025

Ramendra Lal



कैता का नाम एवं पता:- श्री खेम सिंह रावत पुत्र श्री भोपाल सिंह रावत,
निवासी- भिलाडू, पो.किताबघर, मसूरी, जिला देहरादून।

बायें हाथ (Left Hand) की अंगुलियों के चिन्ह:-

कनिष्ठिका	अनामिका	मध्यमा	तर्जनी	अंगुष्ठ

दायें हाथ (Right Hand) की अंगुलियों के चिन्ह:-

अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठिका

कैता/श्री खेम सिंह रावत

(Handwritten signature of Khem Singh Rawat)

(Handwritten signature)



गवाहान:-

1. Jageshwar Jageshwar S/o Ratan mami R/o Bhindera
Mussoorie Id. EPIC No. RLA 0158683, MI. E.

2. विजय सिंह S/o विजय सिंह मेरे दो पक्षों का अर्ध
महारी मिलान कर PAN CAMPS 0105 F
फोटो तसदीककर्ता द्वारा पक्षों के अनुदेश एवं निर्देश पर रचित एवं टंकित
श्री महादेव लेखवार, एडवोकेट, मसूरी।

Certified True Copy of the Original

28/11/2020
Dhanendra Singh Pundeer
Advocate & Notary Public
Regn. No. 19796/2020
Mussoorie
Distt. Dehradun (Uttarakhand)
Govt. of India

Ramesh Lal

28/11/2020



शुद्धी के अ. दिनांक 290 व. क्रमांक 24
शुद्धी का. क्रमांक 239 व. क्रमांक 160/2013
सा. क्रमांक दिनांक 9 को परिवारी को भी
16/2018





THE PLAN PART OPEN LAND OF SRINAGAR ESTATE,
NEAR CHHATRI BEND BELOW MUSSOORIE- KEMPTTY
ROAD, MUSSOORIE (U.K.). SCALE: 20' = 1"

NOTE:- THE BOUNDARY OF SOLD PORTION OPEN LAND HAS
BEEN ENCLOSED LETTER'S A.B.C.D. AND MARKED BY RED RIBAND.
AREA SOLD PORTION OF OPEN LAND = 900.0 SQ. FT. OR 83.6 SQ. MT.

SELLER:- SHRI RAVINDRA LAL S/O LATE SH. R.B. LAL.

PURCHASER:- SH. KHEM SINGH A
RAWAT S/O LATE SH. BHOPAL LAND
SINGH RAWAT.

NOTE:- THE SOLD OPEN LAND
MEASURED BY SELLER &
PURCHASER.



Certified True Copy of the Original

Dhanendra Singh Pundeer
Dhanendra Singh Pundeer
 Advocate & Notary Public
 Regn.No.19796/2020
 Mussoorie
 Distt. Dehradun (Uttarakhand)
 Govt. of India

SIGN. OF SELLER:- *Ravindra Lal*

SIGN. OF PURCHASER:- *Dhanendra Singh Pundeer*

S.S. RANA
S.S. RANA
 SURVEYOR (Retd.)
 Laximpur, Ludhiana
 Mussoorie-248178

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि.
विद्युत बिल (25kW तक)

बिल सं. 65	
कनेक्शन सं.	बिल तिथि
स्वता सं.	
से तक	
ग्राम	माह
वर्ष	विल माह 116
उपखण्ड	उपखण्ड
वेब तिथि	विच्छेदन तिथि
नाम	
पता	
1-12-16	
शहर	स्वीकृत भार
मीटर सं.	मीटर गुणांक
श्रेणी	तय्यार प्रकार
रीडिंग	
पिछली रीडिंग	वर्तमान रीडिंग
Kwh	बिल्लड यूनिट
Kvah	
PF: 0.85	बिल आधार
45 बिल प्रिटरण	21 राशि इमें
विद्युत मूल्य @ 10/4.50	80.00
40.00	
फिक्स्ड चार्ज वर	
फिक्स्ड चार्ज (आधिक्य)	
कोस्टेज पर छुट/अधिभार (-)	
कोने/एरपीएफ. अधिभार (+)	
सोसर कार्ट मीटर छुट	
अन्यार्ड जमा समबोजन/माह (-)	
अन्य देय	
उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति	13.20
विद्युत कर @	
अतिरिक्त अधिभार	108.80
वर्तमान योग	21.00
पिछले बिल की देय धनराशि	0.00
दिलम्भ शुल्क अधिभार	101.00
कुल देय	0.00
पिछले बिल की प्राप्त धनराशि	
बिल भुगतान राशि	
तक ₹	
बाद ₹	
बाद ₹	

COUNTERFOIL

For SMS Alert, Pl. Provide Your mobile No. here

कनेक्शन सं.

बिल सं.

भुगतान की तिथि

भुगतान राशि

स्वीड सं.

For Online Payment log on to www.upcl.org

UPCL Toll free Customer Care No. 1800-419-0405

सेवा में,

अधिकासी अभियन्ता,

उत्तराखण्ड जल संस्थान, मसूरी।

विषय :- नये जल संयोजन हेतु प्रार्थना पत्र।

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम पर श्रीनगर स्टेट छतरी बैण्ड मसूरी में सम्पत्ति है उक्त सम्पत्ति में प्रार्थी के नाम से नया जल संयोजन दिया जाये। यह कि उक्त सम्पत्ति में यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी जो भी शुल्क होगा जमा करा दिया जायेगा। प्रार्थी उक्त जल संयोजन का घरेलू प्रयोग करेगा। भविष्य मे कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उत्तराखण्ड जल संस्थान जल संयोजन को पृथक करने के लिए स्वतन्त्र होगा एवं प्रार्थी किसी हर्जे खर्चे की मांग नही करेगा।

धन्यवाद।



प्रार्थी

खेम सिंह रावत

खेम सिंह रावत

पुत्र श्री भोपाल सिंह रावत

निवासी श्रीनगर स्टेट छतरी बैण्ड
मसूरी जिला देहरादून उत्तराखण्ड।

9997576229